



Delhi Public School Agra

UNDER THE AEGIS OF THE DELHI PUBLIC SCHOOL SOCIETY



DPS:Ag:P:003/2021

06th July 2020

Subject : Sharing of UP government order dated 04th July, 2020 with regard to school fee

Dear Parents
Greetings from DPS Agra

School has issued total four circular dated 27-04-2020, 28-04-2020, 18-06-2020 and 27-06-2020. School has also shared government orders and Hon'ble High Court orders in school fee matter.

UP Government has issued another order dated 04th July, 2020. The three page order is enclosed with this letter.

As mentioned before school is committed to abide by any UP Government/Court order with regard to fee and would request the same to parents.

We would keep you posted with any further orders from government/courts in this regard.

Thanking You.

Principal
DPS AGRA

प्रेमक,

आरामना शुक्ला,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सौज में,

1-समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2-शिक्षा निदेशक(मा0) एवं
सभापति, माध्यमिक शिक्षा
परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

3-सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

4-समस्त संयुक्त शिक्षा निदेशक
उत्तर प्रदेश।

5-समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7

लखनऊ: दिनांक 04 जुलाई, 2020

विषय-अनलॉक-2 के कम में प्रदेश में संचालित समस्त शिक्षा बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों के संबंध में
महोदय,

उपर्युक्त विषयक शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति, माध्यमिक शिक्षा परिषद के पत्र
संख्या-शिक्षि/10651/2020-21 दिनांक 01.07.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020 दिनांक 24.03.2020 द्वारा भारत
सरकार के आपदा प्रवन्धन अधिनियम-2005 संपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रवन्धन अधिनियम-2005
की धारा-2(जी) के अन्तर्गत कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को आपदा घोषित किया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण के दृष्टिगत घोषित लॉकडाउन के कारण विद्यालय बन्द है।

3- गृह मंत्रालय भारत सरकार के आदेश संख्या-40-30-2020-डी0एम0-1(ए) दिनांक
29.06.2020 द्वारा कोविड-19 के दौरान अनलॉक-2 के संबंध में गतिविधियों को प्रारम्भ किए जाने
के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। इसी कम में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के
संयुक्त संख्या-1686/2020/सी0एक्स-3, दिनांक 30.06.2020 द्वारा अनलॉक-2 के संबंध में दिशा
निर्देश निर्गत किए गए हैं।

4- उक्त के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनहित तथा छात्रों के व्यापक हित
एवं सत्र नियमित रखने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित समस्त बोर्ड के माध्यमिक विद्यालयों को
शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत दिनांक 06.07.2020 से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षण तथा नये सत्र
में प्रवेश इत्यादि के कार्य हेतु प्रधानाचार्य द्वारा शैक्षणिक तथा शिक्षणोत्तर कार्मिकों को सहयोग हेतु
बुलाये जाने की अनुमति निम्न शर्तों सहित प्रदान की जाती है:-

1. शिक्षक एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों में कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु प्रतिदिन नियमित
रूप से विद्यालय भवन, फर्नीचर आदि को पूर्णतः सैनिटाइज कराया जाय।
2. विद्यालय आने वाले शिक्षकों एवं शिक्षणोत्तर कार्मिकों के प्रवेश से पूर्व थर्मल स्क्रीनिंग
सुनिश्चित की जाय। यदि किसी कार्मिक का टम्प्रेचर सामान्य से अधिक हो तो उसी
विद्यालय में प्रवेश न दिया जाय तथा इसकी सूचना संबंधित मुख्य विधिकत्वा अधिकारी को
तत्काल उपलब्ध करायी जाय।
3. कोविड-19 से बचाव हेतु सैनीटाइजर तथा नियमित हैंडवॉश हेतु साबुन आदि की पर्याप्त
व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

4. कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत समस्त दिशा-निर्देशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
 5. 06 जुलाई के उपरान्त यथा शीघ्र शिक्षक-अभिभावक संघ की बैठक आहूत की जाय, जिसमें ऑनलाइन पठन-पाठन की व्यवस्था से उन्हें अवगत कराते हुए ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु प्रेरित किया जाय।
 6. ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली के प्रभावी संचालन हेतु अधिकारियों, प्रधानाचार्यों, शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को Webinars तथा Online tutorial इत्यादि के माध्यम से प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।
 7. नवीन सत्र हेतु विद्यार्थियों के प्रदेश की कार्यवाही कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए की जाय।
 8. यथा आवश्यकता विद्यालयों में स्टॉल लगवाकर विद्यार्थियों हेतु पाठ्य-पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करायी जाय।
 9. प्रत्येक कक्षा हेतु प्रतिदिन निर्धारित कक्षावार/विषयवार समय-सारणी बनाकर अधिकतम 15 जुलाई, 2020 तक ऑन लाइन शिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया जाय।
 10. माध्यमिक विद्यालय जिस शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध हैं, यदि उसके द्वारा उक्त के अतिरिक्त ऑनलाइन पठन-पाठन हेतु कोई विशिष्ट दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं तो उनके अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
- 6- मासिक शुल्क लिए जाने विषयक शासनादेश संख्या-736/पन्द्रह-7-2020-1(20)/2020 दिनांक 07 अप्रैल, 2020, लॉकडाउन की अवधि में परिवहन शुल्क न लिए जाने विषयक शासनादेश संख्या-747/पन्द्रह-7-2020-1(20)/2020 दिनांक 21 अप्रैल, 2020 तथा शैक्षणिक सत्र 2020-21 हेतु शुल्क वृद्धि न किए जाने विषयक शासनादेश संख्या-756/पन्द्रह-7-2020-1(20)/2020 दिनांक 27 अप्रैल, 2020 का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।
- 7- प्रदेश में नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत लागू लॉकडाउन की अवधि में वित्त विहीन विद्यालयों के प्रबंधकों द्वारा शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों को समय से वेतन/पारिश्रमिक का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के आदेश अशासकीय पत्र संख्या-318/पी0एस0/एस0ई0/2020, दिनांक 30-03-2020 तथा अध्यापकों एवं कर्मचारियों को वेतन दिए जाने संबंधी शासनादेश निर्गत किये गये हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश के समस्त सरकारी, अर्द्धसरकारी, गैर सरकारी/निजी क्षेत्र के कार्यालय में कार्यरत कर्मियों, समस्त शिक्षण संस्थानों में कार्यरत शिक्षकों, अन्य अधिकारियों एवं कार्मिकों के वेतन/मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किये जाने के निर्देश मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-249/पी0एस0एम0एस/2020, दिनांक 04-04-2020 द्वारा दिये गये हैं।
- 8- शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि कतिपय अभिभावक जो नियमित रूप से वेतन प्राप्त कर रहे हैं उनके द्वारा भी शासनादेश के अनुसार मासिक रूप से शुल्क जमा नहीं की जा रही है, जबकि विद्यालयों को शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों को वेतन का भुगतान किये जाने के निर्देश शासन द्वारा दिए गए हैं। अतः नियमित रूप से वेतन आदि प्राप्त कर रहे अभिभावक तथा ऐसे अभिभावक जो मासिक शुल्क जमा करने का सामर्थ्य रखते हों यथा नियमित वेतन भोगी सरकारी, सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य अभिभावक जो इनकम टैक्स देते हों, के द्वारा मासिक शुल्क नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर जमा करने की कार्यवाही की जाय। इसके अतिरिक्त लॉक डाउन के कारण उत्पन्न विषम

परिस्थितियों/आर्थिक कठिनाईयों के दृष्टिगत जो अभिभावक सम्प्रति शुल्क जमा करने में देने आपको असमर्थ पाते हैं उनके द्वारा शुल्क जमा न किए जाने के कारणों/परिस्थितियों का उल्लेख करते हुए इस आशय का एक लिखित प्रार्थना पत्र संबंधित विद्यालय के अध्यक्ष/प्रधानाचार्य के समक्ष प्रस्तुत किया जाय तथा इस प्रार्थना पत्र पर सकारात्मक रूप से विचार करते हुए आसान किशतों में शुल्क लिया जाय। परन्तु यदि तब भी किसी अभिभावक को शुल्क जमा नहीं किया जाता है, तो उस छात्र को ऑनलाइन पठन-पाठन से बंचित न किया जाय और न ही इस आधार पर किसी छात्र का नाम विद्यालय से काटा जाय।

यदि शुल्क इत्यादि के संबंध में किसी विन्दु विशेष पर कोई पक्ष क्षुब्ध है तो उ०प्र० विस्तपोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क विनियमन) 2018 की धारा-8(1) के अन्तर्गत गठित जिला शुल्क नियामक समिति के समक्ष दूसरे पक्ष द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्तुत आवेदन पत्र पर जिला नियामक समिति द्वारा एक सप्ताह में यमानुसार निर्णय लिया जाय।

- यह निर्देश समस्त शिक्षा बोर्ड के समस्त विद्यालयों पर लागू होगा।

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीया,

(आराधना शुक्ला)
अपर मुख्य सचिव।

ब्या- 1021(1)/15-7-2020-1(20)/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ०प्र० शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा विभाग, उ०प्र० शासन।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ०प्र०।
6. निजी सचिव, मा० उप मुख्यमंत्री, उ०प्र० को मा० उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
7. निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, माध्यमिक शिक्षा विभाग, उ०प्र०।
8. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(आर्यका अखौरी)
विशेष सचिव।